(147)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2743–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–8–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 194/2011–12/अपील.

.....

केदारसिंह पुत्र श्री प्रहलादसिंह
निवासी ग्राम बहांगीखुर्द तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा
निवासी ग्राम बहांगीखुर्द तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक
श्री के0पी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 27/9/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–08–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इरा प्रकार है कि ग्राम बहांगीखुर्द तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित भवन में आवेदक अपने परिवार के साथ 20–25 साल से निवास करता चला आ रहा है । अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की भूमि सर्वे नम्बर 378 रकबा 0.146 हेक्टेयर में से 0.052 हेक्टेयर पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पत्र जॉच हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की जाकर दिनांक 16–12–2011 को आदेश पारित कर

प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–12 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–8–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नहीं किया गया है और आवेदक को अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जाधारी मानकर कब्जा हटाये जाने के आदेश देने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा इस आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है कि अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन पर आवेदक द्वारा सीमांकन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये उसे सीमांकन में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि अवैध कब्जा नहीं किया गया है और उसकी भूमि का बिना सीमांकन कराये बेदखल करने का आदेश देने में न्यायोचित कार्यवाही नहीं की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर आवेदक द्वारा उसकी भूमि पर अवैध कब्जा किया जाना पाया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा कब्जा हटाये जाने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् जॉच की जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाते हुये कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण का निराकरण करने के पूर्व आवेदक को आदेशित किया गया था कि वे अपनी भूमि का सीमांकन करायें, परन्तु उनके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी इसी आशय का निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी अनावेदक है और उस पर आवेदक का कोई स्वत्व नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा कब्जा हटाने का आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इसी आशय का निष्कर्ष आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निकाला गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–08–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 2744–पीबीआर/2015 (केदारसिंह विरूद्ध आनन्द शर्मा) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर